न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (अलवर)

अध्याशितः— श्री गंगाधर मीणा आर0ए0एस

प्रा0पत्र सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
85/2022	27.4.22	14.12.2022

उनवान

1. सतीश कुमार दत्तक पुत्र शिवनारायण जाति गुर्जर निवासी झडझीला तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।

:—वादी/प्रार्थी

बनाम

1. शिवनारायण उर्फ श्योनारायण पुत्र कान्हा जाति गुर्जर निवासी झडझीला तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।
2. भगवानी पत्नी शिवनारायण जाति गुर्जर निवासी झडझीला तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।
3. माया पुत्री शिवनारायण पत्नी पवन कुमार जाति गुर्जर नि0 नंगली तहसील सोहना जिला गुरूग्राम हरियाणा।
4. हंसो पुत्री शिवनारायण पत्नी सुनील जाति गुर्जर नि0 नंगली तहसील सोहना जिला गुरूग्राम हरियाणा।
5. मुनेश पुत्री शिवनारायण पत्नी अनिल जाति गुर्जर नि0 नंगली तहसील सोहना जिला गुरूग्राम हरियाणा।
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लैण्ड होल्डर किशनगढबास जिला अलवर राज0।

:—प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण

दावा इश्तकरारहक मय इन्द्राज दुरूस्ती मय
हुक्मइम्तनाई दवामी प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट

उपस्थितिः—

1. **प्रार्थी की ओर से अजय कृष्ण व्यास वकील ।**
2. **अप्रार्थी की ओर से सूरजभान भण्डाना वकील ।**

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

निर्णय

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि आराजी ख0नं0 206 रकबा 0.300हे0 का 1/12 भाग, 265 रकबा 1.5700हे0, 298 रकबा 0.4400हे0, 81 रकबा 1.0500हे0, 82 रकबा 0.8900हे0 किता 4 रकबा 3.9500हे0 का 1/12 भाग, 12 रकबा 1.5300हे0 का 50/363 भाग, 25 रकबा 1.2300हे0, 26 रकबा 0.4000हे0, 28 रकबा 0.5100हे0, 43 रकबा 0.8300हे0, 44 रकबा 1.1100हे0, 51 रकबा 0.8500हे0, 74 रकबा 1.2300हे0, 76 रकबा 0.96हे0, 79 रकबा 0.6500हे0 किता 9 रकबा 7.7700हे0 का 1/6 भाग, 41 रकबा 1.2300हे0 का 8/873 भाग, 13 रकबा 1.1100हे0, 27 रकबा 0.0500हे0, 29 रकबा 0.19हे0, 42 रकबा 0.6100हे0 किता 4 रकबा 1.9600हे0 का 1/18 भाग वाके ग्राम झडझीला तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0 स्थित है जो आराजी प्रतिवादी संख्या 1 की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है तथा आराजी खसरा संख्या 20 रकबा 0.35हे0, 21 रकबा 0.25हे0, 22 रकबा 0.14हे0, 23 रकबा 0.88हे0 किता 4 रकबा 0.88हे0 का 1/3 भाग वाके ग्राम झडझीला तहसील किशनगढबास जिला अलवर मे स्थित है। जो आराजी प्रतिवादी संख्या 2 की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जो आराजी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी कहलावेगी। वास्ते मुलाहिजा नकल जमाबंदी सं0 2074–2077 संलग्न वादपत्र है।

विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 शिवनारायण व भगवानी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जो आराजी प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता कान्हा से विरासत में प्राप्त हुई है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से खरीद की है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने मिन वादी को पुरूष संतान नही होने के कारण दत्तक पुत्र के रूप में ग्रहण किया है। मिन वादी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का दत्तक पुत्र है।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जिसके कोई पुरूष संतान नही थी, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा मिन वादी को मॉ का दूध छोडने के पश्चात् ही गोद ले लिया था, तब से मिन वादी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ बतौर पुत्र निवास कर रहा हूँ। इस प्रकार विवादित आराजी मिन वादी की पुश्तैनी दादालाई की आराजी है। जिस पर एक एक इंच पर वादी का बाई बर्थ ही हिस्सा है। मिन वादी प्रतिवादी नं0 1 की जायदाद में 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 की जायदाद में 1/2 हिस्सा बाई बर्थ है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

दानपत्र के आधार पर कोई इंतकाल दर्ज व मंजूर किया जावे। राजस्व रिकार्ड व मौका की यथावत स्थिति कायम रखें।

प्रार्थन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। तथाा वकील प्रार्थी को एकपक्षीय सुना जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 27.4.22 से 30.5.22 तक इस अमर पावंद किया गया । कि वो आराजी ख0न0 206 रकवा 0.300हे0 का 1/12 भाग, 265 रकवा 1.5700हे0, 298 रकवा 0.4400हे0, 81 रकवा 1.0500हे0, 82 रकवा 0.8900हे0 किता 4 रकवा 3.9500हे0 का 1/12 भाग, 12 रकबा 1.5300हे0 का 50/363 भाग, 25 रकवा 1.2300हे0, 26 रकवा 0.4000हे0, 28 रकबा 0.5100हे0, 43 रकवा 0.8300हे0, 44 रकवा 1.1100हे0, 51 रकवा 0.8500हे0, 74 रकबा 1.2300हे0, 76 रकवा 0.96हे0, 79 रकवा 0.6500हे0 किता 9 रकवा 7.7700हे0 का 1/6 भाग, 41 रकवा 1.2300हे0 का 8/873 भाग, 13 रकवा 1.1100हे0, 27 रकबा 0.0500हे0, 29 रकबा 0.19हे0, 42 रकवा 0.6100हे0 किता 4 रकवा 1.9600हे0 का 1/18 भाग वाके ग्राम झडझीला तहसील किशनगढवास जिला अलवर के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गयें। तत्पश्चात अप्रार्थीगण सं0 1 लगा0 05 ने प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण 1 व 2 की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है वाकी आराजी विवादित नही है बल्कि वर्तमान मे मिन अप्रार्थीगण 3,4,5 की खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी है जो जरिये दानपपात्र प्राप्त हुई है। अप्रार्थीगण 1 व 2 के कोई पुरूष सन्तान नहीं थी। बल्कि अप्रार्थीगण 3,4,5 पुत्रीया है अप्रार्थीगण 1,2 ने कभी प्रार्थी को गोद नही लिया ना ही वा उनका दत्तक पुत्र है।प्रार्थी प्रारम्भ से ही अपने माता पिता श्योवाई व जगदीश के साथ रहा है। ओर आज भी अपना गेहू राशन प्राप्त कर रहा है। अप्रार्थीगण ने अपने अधिकारो के तहत अप्रार्थीगण 1,2 ने अपने हकूक खातेदारी आराजी को अपने अधिकारो के तहत अप्रार्थीगण 3,4,5 को विधिवत दान की है। ओर दानपत्र तहरीर कराया है जिससे प्रार्थी पाबन्द है किसी भी सूरत मे बातिल वो बेअसर करार दिलाने का अधिकारी नही है।सुविधा का संतुलन वो नापूर्ति हो ने वाली क्षति बहक अप्रार्थीगण है

उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने लिखित बहस पेश की तथा मौखिक भी सुना गया। प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए न्यायालय के आदेश दिनांक 27.4.22 को ताफैसला दावा स्थाई किये जाने का निवेदन किया। तथा वकील अप्रार्थीगण सं0 01 लगा 5 ने अपनी बहस मे जवाब मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए न्यायालय द्वारा पारित अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 27.7.22 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया ।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढवास (अलवर)

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अध्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबंदी अनुसार अप्रार्थीगण हाल जमावंदी संवत 2074–77 के अनुसार अप्रार्थीगण खातेदार है लेकिन प्रार्थीगण के पक्ष मे दिनांक 18.4.22 को दानपात्र प्रार्थी के पक्ष में कराया हुआ है। चूंकि हक हकूको का निर्णय मूलवाद मे ही साक्ष्य सबूत लेकर किया जावेगा ।वर्तमान स्टेज पर केवल सुविधा का संतुलन ही देखा जाना है।पक्षकारान मे अनावश्यक विवाद पैदा ना हो इसलिए दोनो पक्षो को मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखेजाने हेतु पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि दिनांक 27.4.22 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा मे आंशिक संशोधन किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा स्थाई निषेधाज्ञा से इस अमर से पाबंद किया जाता है कि वो विवादित आराजी ख0न0 206 रकबा 0.300हे0 का 1/12 भाग, 265 रकबा 1.5700हे0, 298 रकबा 0.4400हे0, 81 रकबा 1.0500हे0, 82 रकबा 0.8900हे0 किता 4 रकबा 3.9500हे0 का 1/12 भाग, 12 रकबा 1.5300हे0 का 50/363 भाग, 25 रकबा 1.2300हे0, 26 रकबा 0.4000हे0, 28 रकबा 0.5100हे0, 43 रकबा 0.8300हे0, 44 रकबा 1.1100हे0, 51 रकबा 0.8500हे0, 74 रकबा 1.2300हे0, 76 रकबा 0.96हे0, 79 रकबा 0.6500हे0 किता 9 रकबा 7.7700हे0 का 1/6 भाग, 41 रकबा 1.2300हे0 का 8/873 भाग, 13 रकबा 1.1100हे0, 27 रकबा 0.0500हे0, 29 रकबा 0.19हे0, 42 रकबा 0.6100हे0 किता 4 रकबा 1.9600हे0 का 1/18 भाग वाके ग्राम झडझीला तहसील किशनगढबास जिला अलवर से जब्रन वादी को बेदखल नपा करे, ना ही कब्जा काश्त मे मजाहमत व मदाखलत पैदा करे। ना ही वादी की बोई हुई व कुदरती पैदावार को नष्ट भ्रष्ट करे, राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील लेख भण्डार हो।

फैसला आज दिनांक 14.12.22 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
किशनगढ़बास (अलवर)